ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 154-156**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

भारतीय राजनीति में दल–बदल की बढ़ती प्रवृत्ति

डॉ0 पुष्पा कुमारी सोनी
एम०ए०, पी–एच०डी०–राजनीति विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत

Received-01.05.2025, Revised-08.05.2025, Accepted-14.05.2025 **E-mail : saloni21gaya@gmail.com**

सारांशः ***मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है वह अपना विचार विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है जिसमें विचारों की विभिन्नता के साथ–साथ विचारों की समानता भी पायी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर समान विचार रखने वाले व्यक्ति, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं उन्हें 'राजनीतिक दल' कहा जात है। श्लोकतंत्र का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो वह राजनीतिक दलों के अभाव में अकल्पनीय है; इसीलिए दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है।***

कुंजीभूत शब्द– दल–बदल, विवेकशील प्राणी, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक दल, श्लोकतंत्र, लोकतंत्र का आधार, दलीय व्यवस्था

भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास यहाँ की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से भी पुराना है। भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण राजनीतिक दलों का उदय हुआ है।[3] सर्वप्रथम 1826 में राजा राम मोहन राय द्वारा श्ब्रह्म सभाश की स्थापना हुई।[4] इसी प्रकार 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1851 में राधाकान्त देव और देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' की स्थापना हुई। 1852 में 'बम्बई एसोसिएशन' तथा 28 दिसम्बर 1885 को 'राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई ।

यह अवश्य कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भी दल गठित हुए उनका मुख्य उद्देश्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना था; लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करना हो गया और यही एक मुख्य कारण रहा कि– राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न दलों का विकास तेजी से हुआ। इस प्रकार देखा जाय तो भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप विभिन्न विशेषताओं पर आधारित रहा जैसे– यहाँ बहुदलीय पद्धति है, लम्बे समय तक एक राजनीतिक दल की प्रधनता रही है।[5] साथ ही व्यक्ति विशेष पर आधारित दलीय व्यवस्था भी रही, यही कारण है कि भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ दल से व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति से दल चमकते हैं।[6]

वर्तमान समय में तो भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप विकृत होता जा रहा है, आज इसमें लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रतिकूल अनेक दोष गहराई से जुड़ गये हैं जैसे– क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, भाषावाद, धर्म, दलों के भीतर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति, करिश्माई नेतृत्व से सफलता पाने की आकांक्षा और दल–बदल की घातक प्रवृत्ति, शायद इन सभी कारणों से ही आज राजनीतिक दल जन संचरण का साधन न होकर, जनता को उदासीन बनाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले बन गये हैं और इससे स्वस्थ दल–राजनीति की परम्पराओं का विकास नहीं हो पा रहा है और शायद यह कहना गलत न होगा कि आज इतने दलों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय जनता का किसी विशेष दल से भावात्मक या मनोवैज्ञानिक लगाव नहीं देखने को मिलता।

आज भारतीय लोकतंत्र में जो दरारें दिख रही हैं उनका भी श्रेय बहुत कुछ इन राजनीतिक दलों पर है। यह दरारें भरी भी जा सकती हैं यदि राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यकलापों को इस प्रकार निर्धारित करें जिससे स्वस्थ दलीय व्यवस्था को बल मिले; अन्यथा यह दरारें बढ़ सकती हैं और यह चरमराता हुआ ढांचा कल को टूट भी सकता है।[7]

जहाँ तक दल–बदल का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना, नया दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना दल–बदल कहलाता है। हालांकि दल–बदल सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और जनप्रतिनिधि भी लेकिन सामान्य व्यक्ति की निष्ठा बदलने से सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु यदि जनप्रतिनिधि अपनी निष्ठा बदलते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं और फलस्वरूप प्रशासन में शिथिलता और राजनीति में अस्थिरता आ जाती है।[8]

भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ वही राजनीतिक दल शासन का संचालन कर सकता है जिसके पास सांसदों का बहुमत हो। हमारे संविधान के अनुसार बहुमत के आधार पर शासन का कार्य देश में निर्विघ्न चलता रहा, क्योंकि प्रारम्भ में भारत की जनता कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास से अभिभूत थी परन्तु धीरे–धीरे जब विपक्ष द्वारा अपने आपको राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार कर लिया गया और बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया तब कांग्रेस का एकक्षत्र राज्य विघटित होना प्रारम्भ हुआ और इसके बाद श्बहुमतश का गणित ही राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन गया।

भारतीय राजनीति में दल–बदल का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही हो चुका था, 1937 में जब श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम, उत्तर प्रदेश विधायिका के लिए मुस्लिम लीग के टिकट पर निर्वाचित हुए और दल–बदल कर ये कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गये तथा गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में मंत्री नियुक्त हुए, लेकिन श्री इब्राहिम विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर कांग्रेस के टिकट पर पुनः चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए।[9] इसी प्रकार 1948 में आचार्य नरेन्द्रदेव ने समाजवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और सदन की सदस्यता से तत्काल त्याग पत्र दिया और सोशलिस्ट पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े।[10] इस प्रकार प्रारम्भ में तो दल–बदल सिद्धान्तों के आधार पर हुए।

दल–बदल के दृष्टिकोण से देखा जाय तो भारतीय राजनीति में 1967 का चतुर्थ सामान्य निर्वाचन विशेष महत्व रखता है; क्योंकि इस निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और केन्द्र में तो कांग्रेस पार्टी का बहुमत पहले से कम हो गया तथा 8 राज्यों– आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी संविद सरकारें बनीं और यहीं से भारतीय राजनीति में अवसरवादिता की राजनीति के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हो गयी, परिणामस्वरूप सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धान्तहीन दल–बदल की राजनीति प्रारम्भ हुई[11] और दल–बदल का उद्देश्य सैद्धान्तिक मतभेद न होकर मात्र राजनीतिक स्वार्थ बन गया । वैसे विश्वपटल पर देखा जाय तो दल–बदल की घटनाएं– ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे समुन्नत और परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में भी होती है, लेकिन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के जनप्रतिनिधि राजनीतिक निष्ठा क्षण–क्षण नहीं बदलते जबकि भारत में जनप्रतिनिधियों ने राजनैतिक नैतिकता को तार पर रखकर दल–बदल कर सत्ता पर आधिपत्य स्थापित किया, जैसे– हरियाणा के रामधारी गौड़ ने 1969 में एक दिन में 3 बार दल–बदलकर विश्व कीर्तिमान बनाया।[12] 1952–1982 के बीच मात्र

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

दल–बदल के कारण 66 बार विभिन्न राज्य सरकारें अपदस्थ हुई, 70 बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा तथा लगभग 2000 विधायकों द्वारा दल–बदलकर सत्ता प्राप्ति हेतु किया गया।[13] यही नहीं सर्वाधिक विस्मयकारी बात तो यह रही है कि, दल–बदल मात्र व्यक्तियों द्वारा नहीं हुआ अपितु सरकार भी दल–बदल से दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। जैसे– 1980 में हरियाणा में भजनलाल की जनता पार्टी की सरकार दल–बदल कर रातोंरात कांग्रेस की सरकार बन गई ।[14] इसी प्रकार 1992 में चिमनभाई पटेल की श्जनता दल गुजरात की सरकार श्कांग्रेस ईश की सरकार बन गई।[15] इस प्रकार 1967 से अपने भयानक रूप में आकर दल–बदल ने कैंसर की भांति बढ़ते हुए सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली ही को नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन को भी रूग्ण कर दिया और विगत वर्षों से यही राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण रहा है।

इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए बहुत से प्रयास भी हुए जैसे– 1968 में चव्हाण समिति गठित की गयी, 1973 में दल–बदल विरोधी विधेयक (32वां संविधान संशोधन हेतु) प्रस्तुत हुआ और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास तो 1985 में श्दल–बदल विरोधी अधिनियमश का बनना रहा जिसमें संविधान में 52वां संशोधन कर 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गयी। इस दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में 8 पैरा है और अन्य बातों के अतिरिक्त इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण कमी रही इसका पैरा–3 जिसमें वर्णित था कि– यदि किसी दल में विभाजन के समय कम से कम 1/3 सदस्य मूल राजनीतिक दल से पृथक होंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त न होगी तथा पैरा–4 कहता है कि– किसी दल के द्वारा विलय की स्थिति में उस दल से कम से कम 2/3 सदस्य प्रस्ताव द्वारा विलय करें तो सदस्यता समाप्त न होगी।[16]

अतः इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व तो दल–बदल व्यक्तिगत और सामूहिक होते थे किन्तु अब इसका स्वरूप थोक दल–बदल में परिवर्तित हो गया उदाहरण के लिए गोवा, गुजरात, मणिपुर, नागालैण्ड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता है। गोवा में 1991 में मुख्यमंत्री रविनायक को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया लेकिन रविनायक ने इस्तीफा न देकर बाद में 11 के मुकाबले 24 मतों से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया।[17] इसी प्रकार 2003 में एक ऐतिहासिक दल–बदल के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के 40 बसपा विधायकों ने सपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सत्तासीन कर दिया। इसी प्रकार 10 नवम्बर 1990 को केवल दल–बदल के कारण ही चन्द्रशेखर सरकार का गठन सम्भव हो सका था।

इस प्रकार अब यह बात स्पष्ट सबके सामने आ गयी कि– इस दल–बदल विरोधी कानून की दीवारों में काफी बड़े और गुप्त दरवाजे हैं जिनसे आसानी से बेखरोंच निकला जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से दिसम्बर 2003 में अटल बिहारी बाजपेयी सरकार द्वारा पुनः इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया और राजनीति में दल–बदल को समाप्त करने और मंत्रिमण्डल के आकार को तय करने के लिए संविधान का 97वां विधेयक पारित किया गया।[18] यह संशोधन विधेयक उस प्रावधान को समाप्त करता है जिसमें यह व्यवस्था थी कि यदि मूल राजनीतिक दल से 1/3 सदस्य अलग होते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि दल–बदल करने वाले सदस्यों की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी और उनको तब तक लाभ का पद (मंत्रीपद) प्राप्त नहीं सकेगा जब तक कि वे पुनः चुनाव जीतकर नहीं आ जाते।

इस संशोधन का द्वितीय भाग मंत्रिमण्डल के आकार से सम्बन्धित है। क्योंकि अब तक की यही प्रवृत्ति रही है कि मंत्रीपद पाने हेतु सर्वाधिक दल–बदल हुए हैं इस प्रकार देखा जाये तो मंत्री पद ही बहुत बड़ा उत्प्रेरक रहा है, इसी कारण जम्बो मंत्रिमण्डल भी बनें। अतः केन्द्र सरकार ने इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था दी किः

1. केन्द्र और बड़े राज्यों की सरकारों में मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या प्रथम सदन के कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित) ।
2. छोटे राज्यों में यह सीमा 12 प्रतिशत होगी जहाँ यथास्थिति 15 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से अधिक है वे विधेयक लागू होने के 6 माह के भीतर मंत्रिमण्डल की संख्या प्रावधानों के अनुसार कर लें ।

इस प्रकार देखा जाय तो यह अधिनियम यद्यपि दल–बदल रोकने की दिशा में एक सशक्त कदम है लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से देखने पर यह प्रतीत होता है कि– दल–बदल की संभावनाएं संविधान की दसवीं अनुसूची में शेष है जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद पैरा–4 जो 2/3 सदस्यों के साथ अन्य दल के साथ विलय की अनुमति देता है । इस प्रकार तो इस प्रावधान के चलते 100 सदस्यीय किसी राजनीतिक दल के 66 सदस्य अलग होकर अन्य दल से समझौता करके सरकार को प्रभावित कर सकते हैं; अतः विलय के इस प्रावधान को समाप्त करना चाहिए क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगस्त 2004 में अरुणांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गेगांग–अपांग का अपने पूरे मंत्रमण्डिल सहित जो भाजपा के थे, कांग्रेस में शामिल होना अवसरवाद की पराकाष्ठा है।[19]

वास्तव में राजनीति एक गंभीर विषय है और राजनीतिक व्यवस्था देश के रीढ़ की हड्डी होती है, उसे टूटने से बचाये रखने के लिए कुछ नियम और परिपाटी होनी चाहिए, यह जनतंत्र का मजाक होगा कि थोड़े–थोड़े अंतराल में विधायिका के सदस्य यह घोषणा करते रहें कि वे आज इस दल में है और कल किसी दूसरे दल में; अतः आवश्यकता इस बात की है कि दल–बदल की प्रत्येक संभावनाओं को ही समाप्त कर दिया जाय क्योंकि प्रत्येक दल का एक श्मेनीफेस्टोश होता है और जनता दल विशेष की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन करती है अतः यह जनता के साथ जबर्दस्त धोखा है और साथ ही यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि आज के दौर में कोई भी दल–बदल सिद्धान्तों के आधार पर हुआ ही नहीं है। अतः इसे समाप्त करना ही होगा। आज दल–बदल राजनीतिक अनैतिकता का परिचायक और भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है।

इस प्रकार अंत में यही कहा जा सकता है कि– प्रत्येक सुधार अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अच्छे कानून के साथ अच्छे नागरिक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व कानून निर्माता से अधिक कानून के पालनकर्ता के रूप में है । अतः दल–बदल रोकने के लिए आवश्यक है कि– जनप्रतिनिधियों में राष्ट्रीयता की भावना हो, उच्च नैतिक स्तर हो, मूल्य प्रधान राजनीति हो, व्यक्तिगत हित और पार्टी हित के ऊपर राष्ट्रहित की भावना हो, अनुकरणीय चरित्र हो, मान्य आचार संहिता सब पर लागू हो, राजनीतिक संस्कृति और जनतंत्रीय मान्यताओं का सही ढंग से पालन हो तभी दल–बदल जैसी राजनीतिक बुराई पर प्रभावकारी अंकुश लग सकेगा और इससे भारत में संसदीय जनतंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Encyclopaedia, Britannica Vol. I. P. 617.
2. Samuel J. Eldersveld : Political Parties. P. 22.

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

3. B. Pattabhi Sitaramaya, History of the India.
4. D.C. Gupta : Indian National : Movement and Constitutional Development. Vikas Public House, Delhi 1983, P. 26.
5. W.H. Morris Jones : The Government and Politics of India, B.I. Pub. Delhi P. 148.
6. रजनी कोठारी : भारत में राजनीति, ओरियण्ट लाग्मैन, दिल्ली, पृ. 118-19
7. Sulbhash Kashyap : Anti Defection Labe. Promises, Provisions and Prob- lems P.-1.
8. Subash Kashyap : The Politics of Power, New Delhi. P. 41-46.
9. Indian Express ; July 13, 1967, P. 6
10. Myron Weiner : State Politics in India, P. 80.
11. The Hindu, 17th March, 1967.
12. Indian Express, August, 27th, 1989. P.6.
13. The Annual Register of Indian, Political Parties, 1980. Ed. by N.M. Zaidi.
14. दैनिक जागरण पृ- I, 1980
15. Hindustan Times : June 3, 1992, New Delhi पृ. 1-
16. दल-बदल विरोधी अधिनियम, संसदीय सचिवालय प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली |
17. दैनिक जागरण 16, 17 मई 1991 पृ. 1
18. Political & Law Times, Jan. 2004.
19. दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 अगस्त, 2004.

*****